न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28 / 2013 (उदयपुर आर्डर)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शीला कंवर पत्नी स्व॰ हिम्मतसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, हाल 10, ललित नारायण मिश्रा मार्ग, स्वरूप सागर के पास, उदयपुर।
2. श्रीमती विधि झाला पुत्री स्व॰ हिम्मतसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, हाल 10, ललित नारायण मिश्रा मार्ग, स्वरूप सागर के पास, उदयपुर।
3. रोहिताश सिंह झाला पुत्र स्व॰ हिम्मतसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, हाल 10, ललित नारायण मिश्रा मार्ग, स्वरूप सागर के पास, उदयपुर।
4. विक्रम सिंह पिता स्वर्गीय भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती बुद्व कंवर पिता स्वर्गीय भैरूसिंह जो राजपूत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी सूर्य नारायण सिंह जी राजपूत, निवासी पीपलालज, जिला अजमेर (राज.)
7. श्रीमती सूर्य प्रभा पत्नी नरेन्द्रसिंह जी राजपूत, निवासी बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)
8. श्रीमती सोम प्रभा पत्नी गोविन्दसिंह जी राजपूत, निवासी जयपुर, जिला जयपुर (राज.)
9. श्रीमती पूर्णिमा पत्नी लक्ष्मणसिंह जी राजपूत, निवासी न्यू देहली।
10. जगदीश पिता कन्हैयालाल जी सोनी, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
11. लालकृष्ण बिहारी पिता जगदीश जी सोनी, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा
दिनांक 18.03.2013 प्र॰सं॰ 251/2010

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री नरेन्द्रसिंह झाला अभिभाषक रे.सं. 1, 2, 4 से 9

3. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10

———::———

निर्णय दिनांक

12–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में हाल अपीलान्ट सरकार द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के सीलिंग प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी राजराणा भेरूसिंह जी द्वारा सीलिंग नियम 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत उनके द्वारा कृषि भूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–11–1971 में उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध भैरूसिंह जी ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 09–03–1972 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 55/70 में दिनांक 02–12–1982 को निर्णय पारित करते हुए 52.67 एकड़ का आधिपत्यधारी भैरूसिंह जी मानते हुए शेष 92.09 एकड़ भूमि राज्य सरकार में लिये जाने का आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 02–12–1982 के विरूद्ध भंवरलाल, कन्हैयालाल, गणेशलाल, शान्तिलाल, सुन्दरबाई, कंचनबाई एवं भंवरीबाई ने राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–02–1985 को निर्णय पारित करते हुए

प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया। जिसके विरूद्ध सरकार ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 22–07–1995 को निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया।

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी हिम्मतसिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी। जहां उभयपक्षों को सुनने के बाद रिट याचिका स्वीकार की गयी तथा प्रकरण पुनः उप जिला कलक्टर उदयपुर को सीलिंग एरिया पर नय सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण उप जिला कलक्टर उदयपुर न्यायालय में रिमाण्ड होने पर पुनः दर्ज कर दिनांक 18–03–2013 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए यह अंकित किया कि बेचान करने के पश्चात शेष रही 130.2 एकड़ स्टैण्डर्ड भूमि में से 95 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि कम करने पर कुल 35.2 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि बचती है उसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाकर कब्जे राज लिया जावे। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जो भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गयी है वह भूमि पुनः एसेसी के खाते या ट्रान्सफरी के खाते दर्ज की जावे। एसेसी के पास से बिना भार वाली 35.2 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि ली जाकर उसे बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। तहसीलदार गोगुन्दा को अधिग्रहण की गयी भूमि को कब्जे सरकार लेने के निर्देश जारी हो तथा 458 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो ट्रान्सफरी/विपक्षी संख्या 9 व 10 की बिलानाम या अन्य तरह से खाते से हटा दी गयी उसे पुनः खाते दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18–03–2013 से रूष्ट होकर अपीलान्ट सरकार द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09–10–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 25–04–2013 को हुई। इसके पश्चात् उच्चाधिकारियों से

राय लेने व पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से काफी विलम्ब हो गया। अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 04–10–2013 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में गोविन्दसिंह रत्तू तहसीलदार गोगुन्दा का शपथ पत्र पेश किया।

उक्त दफा 5 के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 व 11 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित निर्णय दोनों पक्षों की मौजूदगी में पारित किया गया है तथा अपीलान्ट को विधिक विभाग से राय किस तारीख को प्राप्त हुई यह नहीं बताया है। निर्णय की सच्ची प्रति दिनांक 25–04–2013 को ही अपीलान्ट के पास थी तो इसके बाद पुनः प्रलिपिपि प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। चुनाव में व्यस्त तो दिनांक 01–01–2013 के बाद हुए हैं तथा पहले पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त नहीं थे। जानकारी के बावजूद अपील करीब 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 जगदीश सोनी द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि स्वयं अपीलान्ट ने अपने दफा 5 के आवेदन की कलम संख्या 1 में यह वर्णित किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–03–2003 की जानकारी अपीलान्ट को अपने कार्यालय में दिनांक 25–4–2013 को पालना पत्र आने पर हुई। जब अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 25–04–2013 को ही हो चुकी थी तो फिर करीब 5½ माह बाद दिनांक 04–10–2013 को नकल हेतु आवेदन क्यों प्रस्तुत किया गया ? इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की उपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलान्ट ने

देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो भी कारण अपने आवेदन में प्रस्तुत किये हैं, उसके लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं न ही उक्त कारण उचित एवं पर्याप्त प्रतीत होते हैं। इस संबंध में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1332, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887, आर.बी.जे. (21) 2014 पेज 623 एवं आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 289 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार देरी का पर्याप्त कारण नहीं होने से विलम्ब का शमन नहीं किया गया है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–03–2013 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर